न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 109/2013

अनवान : –

1. रामकुमार पुत्र सोहनाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. हनुमान पुत्र सोहनाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
2. रणजीत पुत्र सोहनाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
3. नथूराम पुत्र सोहनाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
4. मोहनी पुत्री सोहनाराम जोजा छोटूराम जाति जाट साकिन हंजीरा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
5. कमला पुत्री सोहनाराम जोजा अमीलाल जाति जाट साकिन हंजीरा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
6. दुर्गा पुत्री सोहनाराम जोजा ओमप्रकाश जाति जाट साकिन खुईयां तहसील नोहर
7. श्योकरण पुत्र आसाराम (फोत)

   7/1–रायसिंह पुत्र श्योकरण जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर

   7/2–पुर्णमल पुत्र श्योकरण जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
8. दौलतराम पुत्र आसाराम (फोत)

   8/1–इन्द्रपाल पुत्र दौलतराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर

   8/2–गुड्डी पुत्री दौलतराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर

   8/3–रणजीत पुत्र दौलतराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर

   8/4–राणी पुत्री दौलतराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर

   8/5–सरोज पुत्री दौलतराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
9. मुन्शीराम पुत्र आसाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
10. लालचन्द पुत्र आसाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
11. अणची पुत्री सरदाराराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
12. रूकमा पुत्री सरदाराराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
13. पृथ्वीराज पुत्र सरदाराराम (फोत)

13/1–इन्द्रा पुत्री पृथ्वीराज जाति जाट साकिन जसाना हाल भाऊवाला तहसील भानीपुरा

13/2–राजेन्द्र पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट साकिन जसाना हाल भाऊवाला तहसील भानीपुरा

13/3–सन्जू पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट साकिन जसाना हाल भाऊवाला तहसील भानीपुरा

13/4–सुमित्रा कुमारी पुत्री पृथ्वीराज जाति जाट साकिन जसाना हाल भाऊवाला तहसील भानीपुरा

13/5–हेमराज पुत्र पृथ्वीराज (फोत)

13/5/1–सावित्री पत्नी हेमराज जाति जाट साकिन जसाना हाल भाऊवाला तहसील भानीपुरा

13/5/2–दलीप पुत्र हेमराज जाति जाट साकिन जसाना हाल भाऊवाला तहसील भानीपुरा

13/5/3–कालुराम पुत्र हेमराज जाति जाट साकिन जसाना हाल भाऊवाला तहसील भानीपुरा,

14. ओमप्रकाश पुत्र सरदाराराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

15. महेन्द्र पुत्र सरदाराराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
16. केहरसिंह पुत्र सरदाराराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
17. अमरी जोजा साहबराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
18. समीता पुत्री साहबराम जाति जाट नाबालिग जरिये संरक्षिका व माता अमरी जोजा साहबराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :— 1. श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **वादी**
2. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 20/01/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने विरूद्व प्रतिवादीगण एक वाद इस आशय का पेश किया कि आराजी जरई प०नं० 322/407 (47) कि0नं0 9 ता 12 की 4.00, 18 ता 23 की 6.00 तादादी 2.530 है० तथा आराजी जरई प०नं० 321/407 (48) कि0नं0 6—7 की 2.00, 14 ता 17 की 4.00, 24—25 की 2.00 तादादी 2.024 है० तथा प०नं0 321/408 (51) कि०नं0 5,6,15 की 3.00 तादादी 0.734 है० व प०नं0 322/408 (52) कि०नं० 1 की 0.227, 2 की 0.228, 3 की 0.228, 8 की 0.253, 9 की 0.253, 11 की 0.253, 12 की 0.253 तादादी 1.984 है० व प०नं० 88/33 तादादी 0.101 है० कुल तादादी 7.337 है यानि 30 किला वाके रोही चक 21 जे०एस०एन० तहसील नोहर तथा आराजी जरई प०नं० 313/400 (23) कि0नं0 17 ता 24 की 8.00 व 25 की 0.228 तादादी 2. 252 है0 तथा प0नं0 313/401 (26) कि0नं0 1 ता 4 की 4.00, 5 की 0.227, तादादी 1.239 है0 कुल तादादी 3.491 है0 यानि 14.00 किला वाके रोही चक 24 जे0एस0एन0 तहसील नोहर तथा आराजी जरई प0नं0 308/405 (115) कि0नं0 15,16,24,25 की 4.00 तादादी 1.012 है0 तथा प0नं0 309/405 (116) कि0नं0 11 ता 14 की 4.00, 15 की 0.228, 16 की 0.228, 17 ता 24 की 8.00, 25 की 0.227 तादादी 3.719 है0 तथा प0नं0 309/406 (124) कि0नं0 1 की 0.215, 10 की 0.253 तादादी 0.468 है0 व प0नं0 308/406 (125) कि0नं0 4 की 0.215, 5 की 0.215, 6 की 0.253, 7 की 0.253 तादादी 0.936 है0 व 400/29 तादादी 0.177 गै0मु0 रास्ता कुल 6.312 है0 वाके रोही चक 6 बारानी तहसील नोहर तथा खाता संख्या 353/333 प0नं0 292/402 (60) कि0नं0 1 ता 4 की 4.00, 5 की 0.228, 6 की 0.228, 7 ता 14 की 8. 00, 15 की 0.228, 16 की 0.228, 17 ता 24 की 8.00, 25 की 0.227 तादादी 6.199 है0 तथा प0नं0 297/402 (62) कि0नं0 2 ता 4 की 3.00, 5 की 0.228, 6 की 0.228, 6 की [illegible] 12 ता 14 की 3.00, 15 की 0.228, 16 की 0.228, 17 ता 19 की 3.00, 22 ता 24 की [illegible] की 0.227 तादादी 7.934 है0 तथा प0नं0 292/403 (69) कि0नं0 2 ता 4 की 3.00, 5 की 0.228, 6 की 0.228, 7 ता 9 की 3. 00, 12 ता 14 की 3.00, 15 की 0.227 तादादी 2.96 है0 तथा प0नं0 298/403 (70) कि0नं0 1 ता 4 की 4.00, 7 ता 10 की 4.00, 11 ता 14 की 4.00 तादादी 3.036 है0 तथा प0नं0 299/403 (71) कि0नं0 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ता 4 की 3.00, 5 की 0.228, 6 की 0.228, 7 की 0.253 तादादी 1.468 है0 व गै0मु0 रास्ता 0.378 है0 कुल तादादी 18.975 है0 वाके रोही चक 6 बारानी तहसील नोहर तथा आराजी जरई प0नं0 309/403 (81) कि0नं0 1,2 की 2.00, 9 ता 12 की 4.00, 19 ता 24 की 4.00 तादादी 2.53 है0 वाके रोही चक 6 बारानी तहसील नोहर तथा आराजी जरई प0नं0 325/387 (57) कि0नं0 13,14 की 2.00, 15 की 0.228, 17 ता 19 की 3.00 ता 1.493 है0 यानि 6.00 किला वाके रोही चक 12 के0एन0एन0 तहसील नोहर वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 18 को पैतृक व संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पत्ति की आम व संयुक्त परिश्रम से अर्जित मुश्तरका खातेदारी व मुश्तरका कब्जा काश्त की भूमि है। उपरोक्त पैतृक कृषि भूमि व संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त सर्जित मुश्तरका कृषि भूमि 30 किला यानि 7.337 है0 वाके रोही चक 21 जे0एन0एस0 तहसील नोहर के 1/5 हिस्सा में वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 चारो का पैदायशी 4/5 हिस्सा तथा शेष 1/5 हिस्सा में वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 6 खातो का बहिस्सा बराबर हर एक का 1/7 हिस्सा तथा आराजी जरई 3. 491 है0 यानि 14 किला वाके रोही चक 24 जे0एस0एन0 तहसील नोहर के 1/5 हिस्सा में वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 चारो का पैमायशी 4/5 हिस्सा तथा शेष 1/5 हिस्सा में वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 6 खातो का 1/7 हिस्सा तथा आराजी जरई तादादी 6.312 है0 यानि 26 किला वाके रोही चक 6 बारानी तहसील नोहर के 1/5 हिस्सा में वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 चारो का पैदायशी 4/5 हिस्सा तथा शेष 1/5 हिस्सा में वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 6 सातो का हर एक का 1/7 हिस्सा तथा आराजी जरई 18.975 है0 यानि 76.00 किला के 1/6 हिस्सा में वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 चारो का पैदायशी 4/5 हिस्सा तथा शेष 1/5 हिस्सा में वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 6 सातो का ब0हि0ब0 हर का 1/7 हिस्सा तथा आराजी जरई 2.53 है0 यानि 10 किला वाके रोही चक 6 बारानी तहसील नोहर के निस्फ हिस्सा में वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 चारो का पैदायशी 4/5 हिस्सा तथा शेष 1/5 हिस्सा में वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 6 सातो का ब0हि0ब0 हर का एक का 1/7 हिस्सा तथा आराजी जरई 1.493 है0 यानि 6.00 किला वाके रोही चक 12 के0एन0एन0 तहसील नोहर में वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 चारो का पैदायशी 4/5 हिस्सा तथा शेष 1/5 हिस्सा में वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 6 सातों का ब0हि0ब0 हर एक का 1/7 हिस्सा है। सोहन पुत्र आशाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर दिनांक 09.03.03 को फौत हो चुका है तथा उसकी पत्नी अनकोरी भी दिनांक 14.03.04 को फौत हो चुकी है तथा उनके जायज वारिस वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 उनके लड़के तथा प्रतिवादीयान नं0 4 ता 6 उनकी पुत्रियान है। जमाबंदियों में विवादित भूमि अब भी मृतक सोहन वल्द आशाराम के नाम दर्ज है। जिससे विवादित भूमि में प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 प्रतिवादीगण नं0 4 ता 6 का नाम उनके हिस्से से ज्यादा समस्त भूमि ... नं0 1 ता 3 के बराबर हर एक का 1/7 हिस्सा दर्ज करवाकर उक्त भूमि ... उसके हिस्से से महरूम करने व उसे उसके हिस्से से बेदखल ... धमकी देते है तथा ऐसी योजना बना रहे है जिससे वादी के काश्तकारी अधिकारी का हनन होता है तथा वादी विवादित भूमि में जमाबंदी दुरूस्त करा मृतक सोहन का नाम कलमजन करा अर्जीदावा की मद नं0 3 में दर्जानुसार अपना व प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नं0 1 ता 6 का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कराने का मजाज है तथा यही बिनाय दावा है। वाद इश्तकरारहक वादी अपना व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 18 का खाता व लगान अर्जीदावा की मद नं0 3 में दर्जानुसार अलग–2 कायम करा अलग–2 कब्जा पाने का मुस्तहक है। प्रतिवादीगण नं0 1 ता 6 विवादित भूमि में अपना हक व हिस्सा अपने हक से ज्यादा दर्ज करवाकर विवादित भूमि फरोख्त करने व वादी को उसके हक व हिस्सा से बेदखल करने की योजना बना रहे है जिससे वादी के काश्तकारी हकूक का हनन होता है तथा वादी प्रतिवादीगण नं0 1 ता 6 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है। वादी न प्रतिवादीगण नं0 1 ता 6 को कई मर्तबा कहा कि वे जमाबंदी दुरूस्त करा सोहन के नाम दर्ज भूमि में अर्जीदावा की मद नं० 3 में दर्जानुसार अपने आपको मुश्तरका खातेदार काश्तकार तस्लीम कर ले तथा उसी हक व हिस्सा के मुताबिक खाता व लगान तकसीम करले तथा प्रतिवादीगण नं0 7 ता 18 भी अपना खाता व लगान तकसीम कर ले तथा प्रतिवादीगण नं0 1 ता 6 ना तो विवादित भूमि का कोई भाग फरोख्त करें और ना ही वादी को उसके हक व हिस्सा से बेदखल करें मगर वे कुछ दिन तो लेतोलाल करते रहे, बिल आखिर दिनांक 07.10.2004 बमुकाम जसाना तहसील नोहर कतई इन्कार हो गये। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है। विवादित भूमि का लेण्ड होल्डर स्टेट आफ राजस्थान है, इसलिए स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व), नोहर फरीक दावा बनाया गया है। अतः दावा पेश कर अर्ज है कि वाद वादी मुताबिक इस्तदुआ डिक्री फरमाया जावें।

वाद वादी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 29.06.2005 को प्रतिवादीगण नं0 11 से 18 ने अर्जीदावा की मदों को अस्वीकार करते हुये जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम इस आशय का पेश किया कि चक नं0 6 बारानी की 18.975 हे0 भूमि का नीलामी में खरीद करने के बाद बाहमी बंटवारा कर लिया था जिसे करीब 45 साल से ज्यादा समय हो चुका है, बाहमी बंटवारा निम्नप्रकार है। प्रतिवादी नं0 11 से 18 के कब्जा काश्त में प०नं० 299/402 कि०नं० 4 की 5 बिस्वा, 5 की 5 बिस्वा, दक्षिणी हिस्सा 6–7 की 2 बीघा, 14–15 की 2 बीघा, 16–17 की 2 बीघा, 24–25 की 2 बीघा प०नं० 299/403 कि०नं० 4 से 7 की 4 बीघा कुल 12.10 बीघा वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 6 के पिता सोहनराम के हिस्सा में प०नं० 299/402 कि०नं० 1 ता 3 की 3 बीघा, 4 की 15 बिस्वा, 5 की 15 बिस्वा, उत्तरी हिस्सा 8 ता 13 की 6 बीघा, 18–19 की 2 बीघा कुल 12.10 बीघा। दोलाराम प्रतिवादी नं0 8 के हिस्सा में प०नं० 299/402 कि०नं० 20 से 23 की 4 बीघा, प०नं० 299/403 कि०नं० 2,3 की 2 बीघा, प०नं० 298/403 कि०नं० 2 की 5 बिस्वा पूर्वी हिस्सा 4,5 की 2 बीघा, 7,8 की 2 बीघा, 9 की 5 बिस्वा पूर्वी हिस्सा 14,15 की 2 बीघा कुल 12.10 बीघा। श्योकरण प्रतिवादी नं0 7 के हिस्सा में प०नं० 298/403 कि०नं० 1 की 1 बीघा, 2 की 15 [illegible] 9 की 15 बिस्वा, 10 से 12 की 3 बीघा, 297/403 कि०नं० 4 से 7 की 4 [illegible] 12.10 बीघा। मुंशीराम प्रतिवादी नं0 9 के हिस्सा व कब्जा में प०नं० 297/402 कि०नं० 2 से 9 की 8 बीघा, 12 से 15 की 4 बीघा, 16 की 2) बिस्वा, 17 की 2) बिस्वा, 18 की 2) बिस्वा, 19 की 2) बिस्वा उत्तरी हिस्सा कुल 12.10 बीघा। लालचन्द प्रतिवादी नं0 19 के हिस्सा व कब्जा काश्त में प०नं० 297/402 कि०नं० 16 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

17) बिस्वा, 17 की 17) बिस्वा, 18 की 17) बिस्वा, 19 की 17) बिस्वा, दक्षिण हिस्सा कि०नं० 22 से 25 की 4 बीघा, प०नं० 297/403 कि०नं० 2,3 की 2 बीघा 8,9 की 2 बीघा, 12 की 1 बीघा कुल 12.10 बीघा। वादी व प्रतिवादी के कब्जा काश्त में बाहमी बंटवारा के अनुसार है और प्रार्थी प्रतिवादीगण नं0 11 से 18 ने अपनी भूमि में कराव लगाकर समतल बना रखी है उस पर काफी रूपये खर्च करके तैयार की है इसलिए न्यायालय से जरिये काउन्टर क्लेम बाहमी बंटवारा के अनुसार खाता व लगान अलग-2 कराने के अधिकारी है। अतः जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन है कि वाद वादी खारिज किया जाकर काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण नं0 11 से 18 के अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं0 7 ता 10 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। दिनांक 18.05.2005 को प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने जवाब दावा इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादी सं0 1 ता 6 व वादी के पिता सोहनलाल व दौलतराम पि0 आशाराम कौम जाट निवासी जसाना की ब0हि0ब0 की प0मु0नं0 309/403 (81) के कि0नं0 1 व 2, 9 ता 12 व 19 ता 22 की कुल 10.00 बीघा यानि 2.530 है0 भूमि चक 6 बारानी की जरिये नीलामी बोली में खरीद शुदा भूमि है इसी प्रकार से चक 6 बारानी की 18.975 है0 भूमि श्योकरण, सोहना, मुंशी, दौलतराम, लालू, सरदारा वगैरह की जरिये नीलामी में दिनांक 17.02.64 को खरीद शुदा है उक्त भूमि के अलावा चक 12 के0एन0एन0 के प0मु0नं0 325/387 (57) के कि0नं0 13 ता 15 व 17 ता 19 की 1.493 है0 बारानी कृषि भूमि पैतृक आय व संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक सम्पति की आय व संयुक्त परिश्रम से अर्जित मुस्तरका भूमि नहीं है। प्रतिवादीया नं0 4 ता 6 ने अपने समस्त हक हिस्से की कृषि भूमि को जरिये दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 02.04.05 को प्रतिवादी नं0 1 व 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। जिनके नाम से इन्तकाल दर्ज होकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हो चुका है। इस तरह से चक 6 बारानी की 2.530 है0 कृषि भूमि में हनुमान व रणजीत का ब0हि0ब0 5/14 हि0 तथा रामकुमार व नत्थूराम के नाम 1/7 हि0 की भूमि हिस्से में आती है तथा चक 6 बारानी की कुल 18.975 है0 भूमि में से रामकुमार व नत्थूराम के ब0हि0ब0 1/21 हि0 तथा हनुमान व रणजीत के ब0हि0ब0 5/42 हि0 भूमि 1/6 हिस्सा भूमि में से हिस्से में आती है तथा चक 12 के0एन0एन0 की कृषि भूमि में से हनुमान व रणजीत प्रतिवादी के 5/7 हिस्सा व रामकुमार व नत्थूराम के 2/7 हिस्सा भूमि हिस्से में आती है तथा इसी प्रकार से चक 6 बारानी की कुल 6. 429 है0 भूमि में से रामकुमार व नत्थूराम के नाम 2/35 हिस्सा तथा हनुमान व रणजीत के नाम 1/7 हिस्सा भूमि दर्ज रिकार्ड है तथा चक 24 जे0एस0एन0 तथा चक 21 जे0एस0एन0 तहसील नोहर की कुल भूमि में से सोहनलाल के हिस्से की भूमि 1/5 हिस्सा भूमि में से तीनों बहिनो के हक परित्याग करने के पश्चात हनुमान व रणजीत के हिस्से में 5/7 हिस्सा तथा नत्थूराम व रामकुमार के हिस्से में 2/7 हिस्सा भूमि आती है। दावा वादी किसी तरह से संधारण योग्य नहीं है वादी न्यायालय हाजा में क्लीन हैण्ड नहीं आया है। दावा वादी गलत तथ्यों पर तहरीर कर प्रस्तुत किया गया है जो मैनटेनेबल नहीं है। दावा वादी में काज ऑफ एक्सन अराईज नहीं होता है और ना ही दावा अन्दर मियाद है। अतः जवाबदावा प्रस्तुत कर अर्ज है कि अर्जीदावा की मद सं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

11 के जि नं0 क ता च मय अनुतोष खारिज फरमाया जावे। दिनांक 29.06. 2005 को प्रतिवादी नं0 11 ता 18 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया कि चक नं0 6 बारानी की 18.975 है0 भूमि का नीलामी में खरीद करने का बाद बाहमी बंटवारा कर लिया था जिसे करीब 45 साल से ज्यादा समय हो चुका है, बंटवारा जवाब दावा की मद नं0 11 में क से च के अनुसार अलग–2 किया हुआ है। अतः जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर अर्ज है कि वाद वादी खारिज किया जाकर काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण नं0 11 से 18 डिक्री फरमाया जावे। दिनांक 27.07.2005 को जवाबुलजवाब पेश किया कि चक नं0 6 बारानी की भूमि का बाहमी बंटवारा कभी भी नहीं हुआ था। अतः काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे। शेष प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाबदावा पेश नहीं हुआ। प्रस्तुत वाद एवं जवाबदावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया अर्जीदावा की मद नं0 2 में वर्णित समस्त भूमि में जो सोहन पुत्र आसाराम के नाम बतौरकर्ता संयुक्त हिन्दू परिवार दर्ज है, उसमें वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 चारों का 4/5 पैदायशी हक है तथा उसके 1/5 हिस्सा में वाद व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 6 सातों का ब0हि0ब0 हर एक का 1/7 हिस्सा है। वादी
2. आया वादी बाद इस्तकरारहक अपना व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 10 ग्यारहवो का चक 21 जे०एस०एन० की 30 किला यानि 7.337 है0 में अपना व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 चारो का प्रत्येक का 8/35 हिस्सा व प्रतिवादीगण नं0 4 ता 6 प्रत्येक का 1/35 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण नं0 7 ता 10 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा तथा चक 24 जे०एस०एन० की 3.491 है0 यानि 14 बीघा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 चारों प्रत्येक 8/35 हिस्सा के तथा प्रतिवादीगण नं0 4 ता 6 का प्रत्येक का 1/35 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण नं0 7 ता 10 चारों का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा तथा आराजी जरई 6.312 है0 यानि 26 बीघा वाके रोही चक 6 बारानी के खाते में वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 चारो प्रत्येक 8/35 हिस्सा के तथा प्रतिवादीगण नं0 4 ता 6 तीनो प्रत्येक 1/35 हिस्सा के तथा प्रतिवादीगण नं0 7 ता 10 चारो प्रत्येक 1/5 हिस्सा के तथा आराजी जरई 18.975 है0 यानि 76 बीघा वाके रोही चक 6 बारानी के खाते में वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 चारो प्रत्येक 1/6 हिस्सा में 8/35 हिस्सा के तथा प्रतिवादीगण नं0 4 ता 6 तीनो प्रत्येक 1/35 हिस्सा के तथा प्रतिवादीगण नं0 7 ता 10 चारो प्रत्येक 1/6 हिस्सा के तथा प्रतिवादीगण नं0 11 ता 16 छहों प्रत्येक 1/6 हिस्सा में 1/7 हिस्सा के तथा प्रतिवादीगण नं0 17 व 18 दोनो 1/6 हिस्सा में 1/7 हिस्सा के तथा आराजी जरई 2.53 है0 यानि 10 किला वाके रोही चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता में निस्फ हिस्सा में वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 चारों प्रत्येक 8/35 हिस्सा के तथा प्रतिवादीगण नं0 4 ता 6 प्रत्येक 1/35 हिस्सा के तथा प्रतिवादीगण नं0 8 अकेला निस्फ हिस्सा का तथा आराजी जरई ... है0 6 किला वाके रोही चक 12 के०एन०एन० तहसील नोहर में वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 चारो प्रत्येक 8/35 हिस्सा के तथा प्रतिवादीगण नं0 4 ता 6 तीनों प्रत्येक 1/35 हिस्सा के मुस्तरका खातेदार काश्तकार है तथा वादी अपना व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 18 का उपरोक्तानुसार हक व हिस्सा में मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:39:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

खाता व लगान तकसीम करा अपना-2 खाता कायम करने के मजाज है-
वादी

3. आया वादी प्रतिवादीगण नं0 1 ता 6 के खिलाफ इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने का मजाज है कि वे वादी को विवादित भूमि के कब्जा से बेदखल न करें और ना ही विवादित भूमि फरोख्त करें- वादी

4. आया वादी जमाबंदी दुरूस्त करा विवादित भूमि से सोहन व साहबराम का नाम कलमजन कराने का अधिकारी है- वादी

5. आया आराजी जरई चक 6 बारानी की 10 किला सोहन व दौलतराम की तथा इसी चक 6 बारानी में 18.975 है0 श्योकरण, सोहना, मुंशी, दौलतराम, लालू व सरदारा की नीलामी में 17.02.64 की खरीद शुदा व चक 12 के०एन०एन० में से 6.00 किला सोहन अकेले की खरीदशुदा है तथा इस प्रकार यह तीनों खातों की स्वअर्जित है इसका वाद पर क्या असर है- प्रतिवादीगण

6. आया प्रतिवादीगण नं० 4 ता 6 ने समस्त भूमि में अपना हक व हिस्सा दिनांक 02.04.05 को जरिये रजिस्टर्ड दस्तबरदारी प्रतिवादीगण नं० 1 व 2 के पक्ष में त्याग कर दिये और उक्त भूमि का इन्तकाल भी उसी प्रकार दर्ज हो चुका है। इसका वाद पर क्या असर है-
प्रतिवादीगण

7. आया वाद वादी संधारण योग्य नहीं - प्रतिवादीगण

8. आया वादी को वाद लाने का कोई वादाधार नहीं और ना ही वाद वादी अन्दर मियाद है
- प्रतिवादीगण

9. दादरसी ?

वादी के तनकीयात की समर्थन में नकल मिसल बन्दोबस्त संवत 2029 से 2038 चक 24 जे०एस०एन० खाता सं० 24 ईएक्सपी-1 सत्य प्रतिलिपि मिसल बन्दोबस्त चक 6 बारानी खाता सं० 5 ईएक्सपी-2 नकल मिसल बन्दोबस्त चक 21 जे०एस०एन० संवत 2029 ता 2038 ईएक्सपी-3 खाता सं० 2, दो प्रतियों में नकल मिसल बन्दोबस्त चक 6 बारानी खाता सं0 134 दो प्रतियों ईएक्सपी -4 चित्र प्रति मृत्यु प्रमाण-पत्र अनकोरी पत्नी सोहनाराम व सोहनलाल पुत्र आशाराम वारिस प्रमाण पत्र सोहनलाल पुत्र आशाराम, नकल जमाबंदी संवत 2058 से 2060 चक 21 जे०एस०एन० खाता सं० 88/78 दो प्रतियाँ ईएक्सपी-5 नकल जमाबंदी संवत 2058 से 61 खाता सं० 68/60 चक 24 जे०एस०एन० ईएक्सपी-6 नकल जमाबंदी चक 6 बारानी संवत 2058 से 2066 खाता सं० 353/33 ईएक्सपी-7 तीन प्रतियों में, नकल जमाबंदी चक 6 बारानी संवत ... से 2061 खाता सं० 341/306 दो प्रतिया ईएक्सपी-8 नकल जमाबंदी ... 2061 खाता सं० 376/343 ईएक्सपी-9 नकल जमाबंदी चक 12 के०एन०एन० संवत 2057 से 2060 खाता सं० 112/110 ••ईएक्सपी-10 नकल मतदाता सूची 1975 गांव जसाना क्र०सं० 322 से 325 ईएक्सपी-11 नकल मतदाता सूची सन 1975 गांव जसाना क्र०सं० 326 से 330 ईएक्सपी-12 प्रमाणित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

प्रतिलिपि पर्चा खतौनी चक 12 के०एन०एन० ईएक्सपी–13 व चक 6 बारानी ईएक्सपी–14 प्रमाणित प्रतिलिपि दस्तबरदारी ईएक्सपी–15 आदि पेश किये तथा बतौर मौखिक साक्ष्य रामकुमार पीडब्ल्यू–1 दौलतराम पीडब्ल्यू–2 लालचन्द पीडब्ल्यू–3 मुंशी पीडब्ल्यूॅ–4 के बयान करवाये गये।

प्रतिवादीगण ने बतौर दस्तावेजी सबूत नकल खतौनी चक 6 बारानी ईएक्सडी–1 प्रमाणित प्रति पर्चा खतौनी चक 12 के०एन०एन० ईएक्सडी –2 नकल पर्चा खतौनी चक 6 बारानी बहक श्योकरण वगैरह ईएक्सडी –3 नकल पर्चा खतौनी ईएक्सडी –4 नकल पर्चा खतौनी ईएक्सडी –5 नकल पर्चा खतौनी बहक श्योकरण वगैरह ईएक्सडी –6 जमाबंदी चक 12 के०एन०एन० ईएक्सडी –7 बहक सोहनलाल नकल जमाबंदी चक 6 बारानी संवत 2058 से 2061 ईएक्सडी –8 जमाबंदी 6 बारानी ईएक्सडी –9 संवत 2058 चक 21 जे०एस०एन० ईएक्सडी –10 जमाबंदी चक 24 जे०एस०एन० चित्र प्रति बहक श्योकरण वगैरह व दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 02.04.2005 ईएक्सडी –11 रसीद 20.03.2006 ईएक्सडी –12 पर्चा खतौनी चक 6 बारानी ईएक्सडी –13 व पर्चा खतौनी चक 6 बारानी ईएक्सडी –14 नकल पर्चा खतौनी चक 6 बारानी ईएक्सडी –15 जमाबंदी सं० 2037 खाता सं० 254 ईएक्सडी –16 नकल जमाबंदी संवत 2037 खाता सं० 255 ईएक्सडी –17 नकल नामान्तरण ईएक्सडी –18 नकल जमाबंदी रोही मोजा 6 बारानी खाता सं० 203/362 ईएक्सडी –19 सनद चित्र प्रति चक 6 बारानी 75 बीघा बहक श्योकरण वगैरह आदि पेश किये तथा बतौर मौखिक साक्ष्य हनुमान डीडब्ल्यू–1 ओमप्रकाश डीडब्ल्यू–2 देवरत डीडब्लू–3 के बयान करवाये गये।

वादी एवं प्रतिवादीगण को साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर एवं सुनवाई का विधि सम्मत अवसर दिया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर ने दिनांक 29.11.2006 को वादी का वाद खारिज कर दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 29.11.2006 के विरूद्व वादी ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई माननीय न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर दिया जाकर दिनांक 23.06.2007 को निर्णय पारित किया जाकर अपील अपीलान्ट /वादी स्वीकार गई।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 23.06.2007 के विरूद्व हनुमान /प्रतिवादी/रेस्पोडेन्टस ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 06.03.2013 को निर्णय पारित किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नोहर को निर्णय दिनांक 29.11.2006 एव राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 23.06.2007 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी [illegible] प्रतिप्रेषित किया जाकर तीन बिन्दुओ पर जांच कर एव उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षों को जरिये नोटिस तलब किया गया।

वादी की ओर से हवासिह अधिवक्ता उपस्थित आये एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ,11 ता 18 की और से मदन मोहन अधिवक्ता उपस्थित आये प्रतिवादी संख्या 7 ता 10 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादीगण संख्या 13 ता 17 ने जवाब दावा इस आशय का पेश किया की कुर्सीनामा जिस तरह से तहरीर किया है स्वीकार नही है राजुराम के दो सन्तान आशाराम व खेमाराम हुये आसाराम के कुर्सीनामा में दर्ज पांच पुत्र सन्तान के अलावा एक पुत्री शान्ति भी हुई जिसे कुर्सीनामा में नही दर्शाया गया है इसलिये कुर्सीनामा अस्पष्ट एवं अधूरा है । चक न० 21 जे.एस.एन तहसील नोहर की कुल तादादी 7.337 हैक्ट यानी 30 बीघा, चक न० 24 जे.एस. एन. तहसील नोहर के की कुल तादादी 3.491 हैक्ट यानी 14 बीघा एवं रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर की कुल तादादी 6.312 हैक्टयर एवं अन्य खातो में तथा चक न० 6 बारानी तहसील नोहर की कुल तादादी 18.975 हैक्ट भूमि व इसी चक 6 बारानी तहसील नोहर के की 2.530 हैक्ट भूमि व चक न० 12 के. एनएन तहसील नोहर में 06 बीघा भूमि दावा में दर्ज विभिन्न प.मु. वकिला में होना स्वीकार है परन्तु उपरोक्त मद स० 2 में दर्ज समस्त भूमि पैतृक व सयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक आय की सम्पत्ति की आय व सयुक्त परिश्रम से अर्जित भूमि नहीं है। बल्कि उक्त भूमि में से चक न० 6 बारानी तहसील नोहर की 18.975 हैक्ट भूमि श्योकरण, सोहना, दौलत, मुन्शी, लालचन्द व सरदारा की साथ में निलाम बोली खरीद की थी जिसमें श्योकरण, सोहना, मुन्शी, दौलतराम लालु पि० आसा 5/6 हिस्सा व सरदारा वल्द खेमाराम 1/6 हिस्सा उक्त खरीद शुद्वा भूमि के खातेदार काश्तकार है तदनुसार उनका राजस्व रेकार्ड ऑफ राईट में बतौर खातेदार काश्तकार नाम चला आ रहा है तथा चक 6 बारानी तहसील नोहर के प०न० 309/403 के मु0न0 81 में 10 बीघा यानी 2.530 हैक्ट, भूमि सोहन, दौलतराम पि० आशाराम को आवंटन भूमि है जिसके अनुसार उनका राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज भी चला आ रहा है जिसके वे खातेदार काश्तकार है। तथा चक न० 12 के.एन.एन तहसील नोहर की 1.493 हैक्ट भूमि सोहनलाल की जरिये निलामी की खरीद शुद्वा भूमि है जो अकेले के द्वारा खरीदी गई थी। उक्त तथ्य वादी ने दावा की मद स० 2 में छुपाया है वादी न्यायालय हाजा में क्लीन हेण्ड नही आया है इसलिये वाद वादी सांधारण योग्य नही है। प्रतिवादीगण की बहने प्रतिवादीया स० 4ता 6 ने अपने हिस्से में आई समस्त भूमि का त्याग जरिये दस्तावेज द्वारा अपने भाईयों प्रतिवादी सं० 1 व 2 के पक्ष में स्वेंच्छ्या तौर पर कर दिया ... आधार देने के लिए मनगढ़त तौर से तैयार की है। प्रतिवादी स० 1 ता 6 के पिता सोहनलाल व दौलतराम पि० आशाराम कौम जाट निवासी जसाना की ब.हि.ब. की प.मु.नम्बर 309/403 के मु०न० 81 के किला न० 1 व 2 व 9 ता 12 व 19 ता 22 की कुल 10 बीघा यानी 2. 530 हैक्ट भूमि भूमि चक 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बारानी की जरिये निलामी बोली में खरीद शुद्वा भूमि है इसी प्रकार से चक न0 6 बारानी की 18.975 हैक्ट भूमि श्योकरण, सोहना, मुन्शी, दौलतराम लालु, सरदारा वगैरह की जरिये निलामी में दिनांक 17.02.64 को खरीद शुद्धा है उक्त भूमि के अलावा चक न0 12 के.एन.एन के प.मु. मु0न0 325/387 (57 के किला न0 13 ता 15 व 17 ता 19 की 1.493 हैक्ट बारानी भूमि जरिये निलामी सोहन लाल वल्द आशरा की अकेले द्वारा खरीद शुद्वा है उक्त भूमि पैतृक आय व सयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक सम्पति की आय स सयुक्त परिश्रम से अर्जित मुश्तरका भूमि नही है। प्रतिवादीगण स० 4 ता 6 ने अपने समस्त हक व हिस्से की भूमि को जरिये दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 02.04.05 को प्रतिवादी स० 1 व 2 के पक्ष में प्रप्रित्याग कर चुकी है जिनके नाम से इन्तकाल दर्ज होकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज हो चुका है इस तरह से चक 6 बारानी की 2.530 हैक्ट भूमि में हनुमान व रणजीत का का ब.हि.ब. 5/14 हिस्सा तथा रामकुमार व नत्थुराम केक नाम 1/7 हिस्सा की भूमि हिस्से में आती है तथा चक 6 बारानी की कुल 18.975 हैक्ट, भूमि में रामकुमार व नत्थुराम के ब.हि.ब. 1/21 हिस्सा तथा हनुमान व रणजीत के ब. हि.ब. 5/42 हिस्सा भूमि 1/6 हिस्सा भूमि में से हिस्से में आती है तथा चक न० 12 के.एन.एन की भूमि में से हनुमान व रणजीत प्रतिवादी स0 1 व 2 के 5/7 हिस्सा व रामकुमार व नत्थूराम के 2/7 हिस्सा भूमि हिस्से में आती है तथा इसी प्रकार से चक 6 बारानी की कुल 6.429 हैक्ट भूमि में से रामकुमार व नत्थुराम के नाम 2/35 भूमि तथा हनुमान व रणजीत प्रतिवादी स० 1 व 2 के नाम 1/7 हिस्सा भूमि दर्ज रिकार्ड है चक 24 जे.एस.एन तथा चक न0 21 जे.एस.एन तहसील नोहर की कुल भूमि में से सोहनलाल के हिस्से की भूमि 1/5 हिस्सा भूमि में से तीनो बहिनों के हक परित्याग करने के पश्चात हनुमान व रणजीत के हिस्से में 5/7 हिस्सा तथा नत्थुराम व रामकुमार के हिस्से 2/7 हिस्सा भूमि दर्ज रिकार्ड है। रोही मौजा चक 7 बारानी में सोहना व मुन्शी, दौलतराम, लालु, व सरदारा यानी पाचो के दिनांक 17.2.1964 को 75 बीघा रकबा निलामी बोली में खरीद शुद्धा है पर्चा खतौनी चक न0 7 बारानी प्रर्दश–डी 6 प्रतिवादी ने उपरोक्त तथ्य बखुबी साबित किये है इसके अलावा पर्चा खतौनी में चक 6 बारानी में प्रर्दश–3 मु०न० 69 प०न० 298/430 के मु0न0 170 व प०न० 299/403 के मु0न0 71 के प०न० 300/403 के मु0न0 72 की पर्चा खतौनी चक 6 बारानी प्रर्दश– 5 प०न० 498/402 के मु0न0 61 से सरदारा की भूमि निलामी बोली में खरीद शुद्धा होना साबित है। तथा अन्य तथ्यों को साबित करने का भार वादी पर है। इसलिए दावा वादी काबिल इखराजी के है। अत जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमावे।

प्रतिवादीगण का जवाब दावा शामिल मिसल किया गया तथा वाद में उभयपक्षों की ओर से समय समय पर [illegible] प्रस्तुत/ दस्तावेजात पेश किये गये जिन पर समय समय पर उभयपक्षो को सुनवाई का अवसर दिया जाकर निस्तारण किया गया तत्पश्चात उभयपक्षों के दस्तावेजात को शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षो की अन्तिम बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद /जबाबुल जबाब आदि में अंकित तथ्यो को दोहरातें हुए तर्क प्रस्तुत किया वादी का वाद पूर्णत्या साबित है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें और प्रस्तुत दस्तावेजात की ओर ध्यान आकर्षित किया

प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यो को दोहरातें हुए तर्क प्रस्तुत किया वादी का वाद मेन्टेबल नही है वाद वादी खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया पूर्व में कायम तनकीयात एवं राजस्व मण्डल के निर्देशोनुसार तनकीयात का विवेचन निम्नप्रकार से किया गया।

तनकी न0 1 – तनकी न0 1 को साबित करने का भार वादी पर था वादी ने वादपत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि चक 21 जेएसएन की कुल 7.337हैक , चक 24 जेएसएन की कुल 3.491हैक चक 6 बारानी की कुल 6.312हैक चक 12 केएनएन की कुल 1.493हैक भूमि में अपने पिता स्व सोहना के 1/5 हिस्सा की भूमि जददी जायदान होने का कथन करते हुए सोहना के हिस्से में 1/5 हिस्सा का पैतृक सम्पति के आधार पर व शेष सोहना की भूमि में से 1/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार करवाने का कथन किया गया है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के प्रर्दश – 1 जमाबन्दी रोही मौजा चक 24 जेएसएन की कुल 3.490हैक प्रदर्श – 2 जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 रोही मौजा चक 6 बारानी की कुल 4.0460हैक प्रदर्श – 3 जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 चक 21 जेएसएन तादादी 7.334 हेक प्रदर्श –4 जमाबन्दी सम्वत 2029--2038 तादादी 2.199हैक कुल 17.141हैक भूमि स्व आसा पुत्र राजू के नाम से दर्ज है उक्त जमाबन्दीयों के अतिरिक्त अन्य रकबा के सम्बध में वादी /अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया है जिससे भूमि सोहना व उसके भाईयो के नाम दर्ज है इसप्रकार उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह तथ्य साबित है कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि मे से उपरोक्त 17.491हैक भूमि स्व सोहना को अपने पिता से विरास्तन से प्राप्त हुई व शेष भूमि स्व सोहना की स्वअर्जित सम्पति है जो प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित है

इसप्रकार वाद की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि में से 17.491हैव भूमि जददी जायदाद /पैतृक सम्पति होने के कारण सोहना के हिस्से में 1/5 हिस्सा भूमि व सोहन के 1/5 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 प्रत्येक 1/7 हिस्सा के हकदार बनते है शेष सोहना की स्वअर्जित भूमि में वादी का 1/7 हिस्सा बनता है जिसकी वादी घोषणा करवाने का अधिकारी है तनकी न0. 1 साक्ष्यी स[illegible]धार पर वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न0– [illegible] मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 06.03.2013 के बिन्दु संख्या 1 मे दिये गये निर्देशो की पालना पूर्णरूप से होती है तनकी न0 1 में स्वअर्जित एवं पैतृक भूमि का विवेचन दस्तावेजात के आधार पर किया जा चुका है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भादरा

तनकी न0 2— तनकी न0 2 को साबित करने का भार वादी पर था वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह साबित है कि दावा की मद संख्या 2 में वर्णित समस्त भूमि सोहनाराम के नाम दर्ज थी जिसमें से कुछ भूमि पहले वादी के दादा आसाराम की होना प्रमाणित है आसाराम से भूमि वादी के पिता सोहनराम की होना प्रमाणित है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मृत्यू प्रमाण पत्र सोहनाराम से यह प्रमाणित है कि सोहनाराम की मृत्यू दिनांक 09.03.2003 को हुई तथा वादी की माता अन्नकोरी की दिनांक 14.03.2004 को हुई वादी के द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण पत्र से यह प्रमाणित है कि सोहनाराम के चार पुत्र वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 तथा तीन पुत्रीया प्रतिवादी संख्य 4 ता 6 है।

वाद भूमि पैतृक एव स्वअर्जित होकर सोहनाराम के नाम से हक हिस्सा के अनुसार दर्ज हुई थी अर्थात वाद भूमि सोहनाराम पुत्र आशाराम के नाम बतौर सयुक्त हिन्दु परिवार दर्ज है सोहनाराम के नाम से दर्ज भूमि में उनके देहान्त होने पर उसके वारिसान का बराबर का हक हिस्सा होगा अर्थात सोहनाराम के नाम दर्ज भूमि में उसके वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 त 6 सातो का बहिब 1/7 हिस्सा सयुक्त तौर से खातेदार काश्तकार होना प्रमाणित है।

वाद प्रस्तुत होने से पूर्व ही सोहनाराम के पिता आसाराम एवं स्वय सोहनाराम व उसकी पत्नि अन्नकोरी का देहान्त हो चुका था सोहनाराम के वारिसान के नाम भूमि तो विरास्तन से ही प्राप्त होनी है इसलिये सोहनाराम की स्वअर्जित एव पैतृक होने से वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा में किसी प्रकार का परिर्वतन नही होगा इन्हे तो सोहनाराम के नाम दर्ज भूमि में से विरारतन से सभी को बराबर ही प्राप्त होगी। अतः तनकी न0 2 को वादी ने साक्ष्य सबुतों के आधार पर पूर्णत्या साबित करने के कारण वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न0 3 — तनकी न0 3 को साबित करने का भार वादी पर था बादी का कथन है कि वाद भूमि में वादी एव प्रतिवादीगण के हको का निर्धारण नही हो जाता तब तक वाद भूमि को रहन बेय या अन्य प्रकार से मन्तकिल नही करे वादी का कथन स्वीकार योग्य है क्योकि वाद के विचाराधीन रहते वाद भूमि के किसी हिस्से का बेचान या अन्तरण होता है तो विवाद बढेगा जिसे रोकने के लिये वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है अतः तनकी न0 3 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न0 4 — तनकी न0 4 को साबित करने का भार वादी पर था वादी ने सोहनाराम का देहान्त हो चुका है जो तनकी न0 2 में विवेचन किया जा चुका है सोहनाराम एव उसकी पत्नि का देहान्त हो चुका है सोहनाराम के नाम से दर्ज भूमि उसके वारिसान विरारत्तन से भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार [illegible] करवा पाने के अधिकारी है अतः तनकी न0 4 वादी के पक्ष में तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

तनकी न0 5— तनकी न0 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था रोही मौजा चक 6 बारानी की 10 बीघा सोहना व दोलतराम की तथा इसी चक 6 बारानी की 18.975हव

Rahul
अपराध अधिकारी
मोहर

श्योकरण सोहना मुंशी , दौलतराम लालू व सरदारा की निलामी में 17.02.1964 की खरीदशुदा है का वाद पर वर्तमान स्थिति में कोई असर नही हो सकता है।

वाद भूमि सोहना की स्वअर्जित हो या पैतृक हो से सोहना के वारिसान के हक हिस्सो पर किसी प्रकार का प्रभाव नही होगा क्योकि सोहना के वारिसान को तो सोहना के नाम दर्ज भूमि विरास्तन से ही प्राप्त होगी अतः तनकी न0 5 वादी /प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

<u>तनकी न0 6</u>– तनकी न0 6 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण का कथन है प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने समस्त भूमि में अपना हक हिस्सा दिनांक 02.04.2005 को जरिये रजिस्टर्ड दस्तबरदारी प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया गया और राजस्व रिकार्ड में भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज भी हो चुकी है इसलिये वादी इस भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है स्वीकार योग्य नही है।

दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नही है दस्तरदारी से कोई हक तब्दील नही होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई काश्तकारी हक हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबरदार होने वाले सहकाश्तकार का उस खाता की भूमि में से हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सहकाश्तकार बहिब के मुश्तरका हकदार व काश्तकार हो जाते है दस्तबरदारी दिनांक 02.04.2006 होने के उपरान्त शेष रहे सहखातेदारो में भूमि बहिब में समायोजित हो जाती है।

इसप्रकार सोहना एव सोहना की पत्नी अनकोरी के देहान्त होने पर सोहना के नाम से दर्ज भूमि सोहना के वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 सातो पर बराबर विरास्तान से औद हुई सोहना के वारिसान सोहना के नाम दर्ज भूमि में से प्रत्येक 1/7 हिस्सा का हकदार हुआ।

सोहना की पुत्रिया मु0 मोहनी , कमला , दर्गा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि जरिये दस्तबरदारी अपने भाई प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के दस्तबरदारी करवाने के उपरान्त अनका उस खाते से हक समाप्त होकर शेष सहखातेदारों में समाहित हो गया।

अर्थात प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने पिता सोहना से विरास्तन से प्राप्त भूमि 1/7 हिस्सा की दस्तबरदारी करवाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का हक उस खाते की भूमि में से समाप्त हो जाते है और शेष रहे सहखातेदारो के नाम बराबर दर्ज हो जाते है अर्थात प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के दस्तबरदारी करवाने के उपरान्त शेष उसके भाई वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 उक्त भूमि के हकदार होंगे अकेले प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को उक्त दस्तबरदारी के आधार पर कोई हक प्राप्त नही होगे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी ने अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 नोहर के निर्णय की और ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में की गई दस्तबरदारी का वैध

Rahul

माना गया है इसलिये वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 कोई हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का कथन स्वीकार योग्य नही है माननीय न्यायालय ने दस्तबरदारी की वैद्यता की जांच की गई है कि दस्तबरदारी विधि सम्मत सम्पादित की गई है अथवा नही दस्तबरदारी से किसको हक हिस्सा प्राप्त होगा का निर्धारण नही किया गया है यह केवल राजस्व न्यायालय को ही किया जाना है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के द्वारा की गई दस्तबरदारी शेष रहे सभी सहखातेदारो अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 सभी के पक्ष में समायोजित होगी अतः तनकी न0 6 प्रतिवादीगण के पक्ष में साबित नही होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 , 2 के विरूद्व एव वादी के पक्ष में तय की जाती है।

<u>तनकी न0 7</u>– तनकी न0 7 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण को कथन है वादी का वाद संधारण योग्य नही है प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई भी तथ्य पेश नही किया जिससे वादी का वाद संधारण योग्य नही होना साबित हो सकता हो जबकि वादी ने अपने हको की घोषणा करवाने का वाद पेश किया गया है जिसका वादी अधिकारी है वह कभी भी अपने हको की घोषणा करवाने का वाद पेश करने का अधिकारी है। तनकी न0 7 प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है

<u>तनकी न0 8</u>– तनकी न0. 8 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादी ने ऐसा कोई भी तथ्य पेश नही किया जिससे वादी को वादकारण हासिल नही हो ना ही ऐसा तथ्य पेश किया जिससे वादी का वाद मियाद बाहर साबित होता हो मात्र कथनो के आधार पर प्रतिवादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है तनकी न0 8 प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 06.03.2013 के बिन्दू सुख्या 2 में प्रकरण संख्या 10/2005 में लम्बित धारा 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का विधि पूर्वक निस्तारण करने के निर्देश है

प्रकरण संख्या 10/2005 में वाद भूमि हस्तगत वाद में वर्णित भूमि व पक्षकार समान थे जिसके कारण वाद भूमि पूर्व व वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में सयुक्त खाते में दर्ज थी जिसके कारण विवाद को बढावा ना मिले इसलिये वाद संख्या 10/2005 की कार्यवाही को स्थगित रखा गया था हस्तगत वाद के निस्तारण उपरान्त वाद में कार्यवाही आरम्भ की जा सकती है।

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 06.03.2013 के बिन्दू सुख्या 3 में सरदारराम का नाम निलामी इकरारनामा [illegible] में प्रारम्भ से ही है अथवा बाद में जोडा गया हे उक्त तथ्य की पूर्ण [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार फर्द निलामी में सरदाराराम वल्द आसा अंकित किया गया है वादी का कथन है कि सरदाराराम का नाम सहवन से फर्द निलामी में दर्ज हुआ है सरदाराराम नाम कोई पुत्र नही था इसलिये सरदाराम का नाम कलमजन किया जावे

यह तथ्य तो साक्ष्य सबुतो एव सरदाराराम या उसके वारिसान को सुनवाई के उपरान्त ही तय होगा की सरदाराराम का नाम फर्द निलामी में सहवन से दर्ज हुआ था या सरदाराराम के द्वारा निलामी में खरीद की गई थी हस्तगत वाद में इसका विवेचन किया जाना विधि सम्मत नही है

वादी सरादाराराम के नाम से दर्ज भूमि के सम्बध में अपने हको की घोषणा करने के लिये पूर्व में प्रस्तुत वाद अथवा संशोधन के साथ नया वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है हस्तगत में केवल सोहना के नाम दर्ज भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का कितना हक हिस्सा है का ही विवेचन किया जा रहा है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के प्रर्दश – 1 जमाबन्दी रोही मौजा चक 24 जेएसएन की कुल 3.4910हैक प्रदर्श – 2 जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 रोही मौजा चक 6 बारानी की कुल 4.0460हैक प्रदर्श – 3 जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 तादादी 2.199हैक कुल 17,141हैक भूमि स्व आसा पुत्र राजू के नाम से दर्ज है उक्त जमाबन्दीयों के अतिरिक्त अन्य रकबा के सम्बध में वादी /अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया है जिससे भूमि सोहना व उसके भाईयो के नाम दर्ज है इसप्रकार उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से यह तथ्य साबित है कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि मे से उपरोक्त 17.491हैव भूमि स्व सोहना को अपने पिता से विरास्तन से प्राप्त हुई व शेष भूमि स्व सोहना की स्वअर्जित सम्पति है जो प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित है

इसप्रकार वाद की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि में से 17.491हैव भूमि जददी जायदाद /पैतृक सम्पति होने के कारण सोहना के हिस्से में 1/5 हिस्सा भूमि व सोहन के 1/5 हिस्सा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 प्रत्येक 1/7 हिस्सा के हकदार बनते है शेष सोहना की स्वअर्जित भूमि में वादी का 1/7 हिस्सा बनता है वाद भूमि पैतृक एव स्वअर्जित होकर सोहनाराम के नाम से हक हिस्सा के अनुसार दर्ज हुई थी अर्थात वाद भूमि सोहनाराम पुत्र आशाराम के नाम बतौर सयुक्त हिन्दु परिवार दर्ज है सोहनाराम के नाम से दर्ज भूमि में उनके देहान्त होने पर उसके वारिसान का बराबर का हक हिस्सा होगा अर्थात सोहनाराम के नाम दर्ज भूमि में उसके वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 त 6 सातो का बहिब 1/7 हिस्सा सयुक्त तौर से खातेदार काश्तकार होना प्रमाणित है।

सोहनाराम के वारिसान के नाम भूमि तो विरास्तन से ही प्राप्त होनी है इसलिये सोहनाराम की स्वअर्जित एव पैतृक होने से वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा में किसी प्रकार का परिर्वतन नही होगा इन्हे तो सोहनाराम के नाम दर्ज भूमि में से विरास्तन से सभी को बराबर ही प्राप्त [illegible] सोहनाराम के नाम दर्ज भूमि वादी एव प्रतिवादीगण को विरास्तन से प्राप्त हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नही है दस्तरदारी से कोई हक तब्दील नही होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई काश्तकारी हक हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबरदार होने वाले सहकाश्तकार का उस खाता की भूमि में से हक समाप्त हो जाता है

तथा उस खाता के बकाया सभी सहकाश्तकार बहिब के मुश्तरका हकदार व काश्तकार हो जाते है दस्तबरदारी दिनांक 02.04.2006 होने के उपरान्त शेष रहे सहखातेदारो में भूमि बहिब में समायोजित हो जाती है।

सोहना की पुत्रिया मु0 मोहनी , कमला , दर्गा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि जरिये दस्तबरदारी अपने भाई प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में त्याग कर दिया जबकि प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के दस्तबरदारी करवाने के उपरान्त अनका उस खाते से हक समाप्त होकर शेष सहखातेदारों में समाहित हो गया अर्थात प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 ने अपने पिता सोहना से विरास्तन से प्राप्त भूमि 1/7 हिस्सा की दस्तबरदारी करवाने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का हक उस खाते की भूमि में से समाप्त हो जाते है ओर शेष रहे सहखातेदारो के नाम बराबर दर्ज हो जाते है अर्थात प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के दस्तबरदारी करवाने के उपरान्त शेष उसके भाई वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 उस खाते की भूमि के हकदार होगे अकेल प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को उक्त दस्तबरदारी के आधार पर कोई हक प्राप्त नही होगे ।

प्रतिवादी ने अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 नोहर के निर्णय की और ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में की गई दस्तबरदारी का वेध माना गया है इसलिये वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 कोई हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का कथन स्वीकार योग्य नही है माननीय न्यायालय ने दस्तबरदारी की वैद्यता की जांच की गई है कि दस्तबरदारी विधि सम्मत सम्पादित की गई है अथवा नही दस्तबरदारी से किसको हक हिस्सा प्राप्त होगा का निर्धारण नही किया गया है यह केवल राजस्व न्यायालय को ही किया जाना है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के द्वारा की गई दस्तबरदारी शेष रहे सभी सहखातेदारो अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 सभी के पक्ष में समायोजित होगी

वाद भूमि जो आसाराम पुत्र राजुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के उपरान्त उसके वारिसान को विरास्तन से प्राप्त हुई जिसमें आसाराम के पुत्र सोहनाराम का 1/5 हिस्सा होगा तथा सोहनाराम के द्वारा अर्जित भूमि में सोहनाराम के वारिसान का 1/7 हिस्सा होगा तथा सोहनाराम की पुत्रीयो के द्वारा दस्तरदारी करवाने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा होगा जिसकी वादी घोषणा करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुत [illegible] पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है [illegible] खाता संख्या 353/333 पुराना वर्तमान खाता संख्या 525/506 की कुल [illegible]5हैक भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हक हिस्सा को कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष सहखातेदारो के हिस्से यथावत रहेगे

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा चक 6 बारानी के पुराना खाता संख्या 376/343 वर्तमान खाता संख्या 430/417 की कुल 2.530हैक भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हक हिस्सा को कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष सहखातेदारो के हिस्से यथावत रहेगे

रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 526/507 की कुल 6.3130 हैक भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हक हिस्सा को कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष सहखातेदारो के हिस्से यथावत रहेगे

रोही मौजा चक 21जेएसएन के खाता संख्या 185/178 की कुल 7.3370हैक भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हक हिस्सा को कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष सहखातेदारो के हिस्से यथावत रहेगे।

रोही मौजा चक 12केएनएन के खाता संख्या 135/133 की कुल 1.5180हैक भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हक हिस्सा को कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष सहखातेदारो के हिस्से यथावत रहेगे

रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 29/112 की कुल 3.4910हैक भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हक हिस्सा को कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष सहखातेदारो के हिस्से यथावत रहेगे यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे इसी आश्य की पर्चा डिक्री की जाकर संलग्न की गई।व्यय वाद उभयपक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वयं अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 20/01/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 109/2013

अनवान : –

1. रामकुमार पुत्र सोहनाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. हनुमान पुत्र सोहनाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. रणजीत पुत्र सोहनाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. नथूराम पुत्र सोहनाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. मोहनी पुत्री सोहनाराम जोजा छोटूराम जाति जाट साकिन हंजीरा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
5. कमला पुत्री सोहनाराम जोजा अमीलाल जाति जाट साकिन हंजीरा तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
6. दुर्गा पुत्री सोहनाराम जोजा ओमप्रकाश जाति जाट साकिन खुईयां तहसील नोहर
7. श्योकरण पुत्र आसाराम (फोत)

   7/1–रायसिंह पुत्र श्योकरण जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर

   7/2–पुर्णमल पुत्र श्योकरण जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
8. दौलतराम पुत्र आसाराम (फोत)

   8/1–इन्द्रपाल पुत्र दौलतराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर

   8/2–गुड्डी पुत्री दौलतराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर

   8/3–रणजीत पुत्र दौलतराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर

   8/4–राणी पुत्री दौलतराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर

   8/5–सरोज पुत्री दौलतराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
9. मुन्शीराम पुत्र आसाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
10. लालचन्द पुत्र आसाराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
11. अणची पुत्री सरदाराराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
12. रुकमा पुत्री सरदाराराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
13. पृथ्वीराज पुत्र सरदाराराम (फोत)

13/1–इन्द्रा पुत्री पृथ्वीराज जाति जाट साकिन जसाना हाल भाऊवाला तहसील भानीपुरा

13/2–राजेन्द्र पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट साकिन जसाना हाल भाऊवाला तहसील भानीपुरा

13/3–सन्जू पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट साकिन जसाना हाल भाऊवाला तहसील भानीपुरा

13/4–सुमित्रा कुमारी पुत्री पृथ्वीराज जाति जाट साकिन जसाना हाल भाऊवाला तहसील भानीपुरा

13/5–हेमराज पुत्र पृथ्वीराज (फोत)

13/5/1–सावित्री पत्नी हेमराज जाति जाट साकिन जसाना हाल भाऊवाला तहसील भानीपुरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

13/5/2–दलीप पुत्र हेमराज जाति जाट साकिन जसाना हाल भाऊवाला तहसील भानीपुरा

13/5/3–कालुराम पुत्र हेमराज जाति जाट साकिन जसाना हाल भाऊवाला तहसील भानीपुरा,

14. ओमप्रकाश पुत्र सरदाराराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

15. महेंन्द्र पुत्र सरदाराराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
16. केहरसिंह पुत्र सरदाराराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
17. अमरी जोजा साहबराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
18. समीता पुत्री साहबराम जाति जाट नाबालिग जरिये संरक्षिका व माता अमरी जोजा साहबराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 109 सन 2013 निर्णय दिनांक 20/01/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री हवासिंह पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण श्री मदन मोहन जोशी की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 353/333 पुराना वर्तमान खाता संख्या 525/506 की कुल 18.975हैक भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हक हिस्सा को कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष सहखातेदारो के हिस्से यथावत रहेगे

रोही मौजा चक 6 बारानी के पुराना खाता संख्या 376/343 वर्तमान खाता संख्या 430/417 की कुल 2.530हैक भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हक हिस्सा को कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष सहखातेदारो के हिस्से यथावत रहेगे

रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 526/507 की कुल 6.3130 हैक भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हक हिस्सा को कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष सहखातेदारो के हिस्से यथावत रहेगे

रोही मौजा चक 21जेएसएन के खाता संख्या 185/178 की कुल 7.3370हैक भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हक हिस्सा को कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष सहखातेदारो के हिस्से यथावत रहेगें।

रोही मौजा चक 12केएनएन के खाता संख्या 135/133 की कुल 1.5180हैक भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हक हिस्सा को कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष सहखातेदारो के हिस्से यथावत रहेगे

रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 29/112 की कुल 3.4910हैक भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज हक हिस्सा को कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष सहखातेदारो के हिस्से यथावत रहेगे यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....[illegible]... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:59:23 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर